प्रेस नोट

दिनांक 22.08.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से अन्तर्राष्ट्रीय शातिर चोर को हुई 05 का कारावास व रूपये 18,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री गुरूप्रसाद तिवारी पुत्र कमला प्रसाद तिवारी हाल पता म0सं0 2176 आवास विकास कालोनी निकट प्रेरणा पार्क गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा उसके घर में घुसकर सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 विपुल कुमार द्वारा की जा रही थी। जिसमें दिनांक 08.12.2024 को थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त विशेष सूत्रो, साक्ष्य संकलन व तकनीकी साक्ष्य के आधार पर घटना कारित करने वाले प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त डालिम पुत्र तजम्मुल को सतईपुरवा रोड़ निकट रेलवे स्टेशन गोण्डा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए माल (सोने चांदी के जेवरात) को बेचने से प्राप्त 20,000/- रूपये बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोपी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना को0 नगर में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर का0 ब्रीजेन्द्र प्रताप सिंह व थाना को0 नगर के पैरोकार का0 ब्रीकेश यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 21.08.2026 को दोषी अभियुक्त डालिम पुत्र तजम्मुल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोण्डा श्री अमित सिंह द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष का कारावास व 18,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

1. डालिम पुत्र तजम्मुल नि0 गमस्तापुर साहिब ग्राम चापाई नवाबगंज बांग्लादेश।

(फर्जी आधार कार्ड पता- ग्राम स्वरूपादाह पोस्ट- हाकिमपुर नार्थ 24 परगनास पश्चिम बंगाल)

अभियोग का विवरण-

1. 01. मु0अ0सं0-911/24, धारा 305(ए),331(4),317(2) बीएनएस व 14 विदेशी अधि0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 22.08.2026

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा चोरी के माल की खरीद-फरोख्त में संलिप्त आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-542/25, धारा 303(2) बीएनएस की घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्त मकसूद पुत्र हारुन उर्फ अनवर अली, निवासी ग्राम तोपखाना नऊवन मोहल्ला, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को चौरी चौराहा से कर्नलगंज जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी पंकज कुमार सिंह द्वारा थाना कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि वह निशा सेवा सुरक्षा प्रा० लि० कम्पनी में जिला सुरक्षा अधिकारी के पद पर जनपद गोण्डा में कार्यरत है तथा कम्पनी द्वारा जनपद में स्थापित एयरटेल/इण्डस टावरों की सुरक्षा पेट्रोलिंग के माध्यम से की जाती है। थाना करनैलगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरगदी स्थित इण्डस टावर संख्या आई एन 3344072 बरगदी गरवारा से दिनांक 10/11.12.2025 की रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा कैबिनेट का कुण्डा तोड़कर अमरान कम्पनी की 100 ए0एच0 की 02 अदद लिथियम बैट्री चोरी कर ली गयी। इसी प्रकार दिनांक 09.12.2025 की रात्रि में टावर संख्या आई एन 3344077 गुलाम बक्स पुरवा से अमरान कम्पनी की 100 ए0एच0 की 03 अदद बैट्री चोरी कर ली गयी। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 22.08.2026 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा चोरी के माल की खरीद फरोख्त में संलिप्त आरोपी अभियुक्त मकसूद पुत्र हारुन उर्फ अनवर अली, निवासी ग्राम तोपखाना नऊवन मोहल्ला, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को चौरी चौराहा से कर्नलगंज जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मकसूद पुत्र हारुन उर्फ अनवर अली, निवासी ग्राम तोपखाना नऊवन मोहल्ला, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 542/25, धारा 303(2) बीएनएस थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 अजयकांत द्विवेदी।
2. हे0का0 सुभाष यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 22.08.2026

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार,चोरी का माल बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-512/25, धारा 305(ए),331(4) बीएनएस की घटना में संलिप्त 02 आरोपी अभियुक्तो- 01.पंकज कुमार सिंह पुत्र देवसहाय सिंह निवासी गोरछानपुरवा मौजा हीरापुर शाहपुर थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा, 02. बृज कुमार विश्वकर्मा पुत्र मोहनलाल विश्वकर्मा निवासी पाण्डेय चौरा थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा को हीरापुर शाहपुर प्राथमिक विद्यालय परिसर स्थित एक कमरे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी विजय बहादुर सिंह पुत्र माता सिंह निवासी ग्राम गोरछन पुरवा, मौजा हीरापुर शाहपुर, थाना को0 करनैलगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 16/17.07.2026 की रात्रि उसके घर से अज्ञात चोरों द्वारा जेवरात व आभूषण चोरी किये गये थे। उक्त घटना में वादी को अपने पड़ोस के पंकज सिंह पुत्र देव सहाय सिंह व बृज कुमार लोहार निवासी पाण्डेय चौरा पर संदेह था। दिनांक 17/18.08.2026 की रात्रि वादी दरवाजे पर सो रहा था, तभी घर के अन्दर खटपट की आवाज सुनकर जागा और घर की ओर गया तो दोनों व्यक्ति उसके घर से बाहर निकलकर भागते दिखाई दिये, जिन्हें वादी ने पहचान लिया। वादी के अनुसार दोनों पूर्व में भी चोरी करने तथा पुनः चोरी के उद्देश्य से घर में घुसे थे। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 22.08.2026 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना में संलिप्त 02 आरोपी अभियुक्तो- 01. पंकज कुमार सिंह पुत्र देवसहाय सिंह निवासी गोरछानपुरवा मौजा हीरापुर शाहपुर थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा, 02. बृज कुमार विश्वकर्मा पुत्र मोहनलाल विश्वकर्मा निवासी पाण्डेय चौरा थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा को हीरापुर शाहपुर प्राथमिक विद्यालय परिसर स्थित एक कमरे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पंकज कुमार सिंह पुत्र देवसहाय सिंह, निवासी गोरछानपुरवा मौजा हीरापुर शाहपुर, थाना को0 करनैलगंज, गोण्डा।
2. बृज कुमार विश्वकर्मा पुत्र मोहनलाल विश्वकर्मा, उम्र करीब 56 वर्ष, निवासी पाण्डेय चौरा, थाना को0 करनैलगंज, गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 512/25, धारा 305(ए),331(4),317(2) बीएनएस थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 जोड़ी लेडीज कान की बाली
2. 01 अदद लॉकेट पीली धातु
3. 02 अदद लेडीज नथिया पीली धातु
4. 01 अदद नगदार अंगूठी सफेद धातु
5. 01 जोड़ी लेडीज पायल सफेद धातु

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 मिर्जा वहीद बेग।
2. हे0का0 कमलेश वर्मा।
3. का0 राहुल यादव द्वितीय।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 22.08.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 766/2026 धारा 109(1) बीएनएस की घटना में संलिप्त 02 आरोपी अभियुक्तों- 01. सूर्य नरायन तिवारी पुत्र श्यामलाल तिवारी, 02. दुर्गेश तिवारी पुत्र सूर्य नरायन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी वेद प्रकाश तिवारी निवासी ग्राम सोनी हरलाल, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा थाना को0 नगर मंे लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 19.08.2026 को समय लगभग 12ः00 बजे दोपहर प्रार्थी अपनी दुकान बंद कर एन0एन0 तिवारी हास्पिटल के सामने स्थित अनु इन्टरप्राइजेज पर घरेलू सामान लेने हेतु रुका था। इसी दौरान विपक्षीगण सूर्य नारायण, दुर्गेश, सक्षम एवं रमन द्वारा प्रार्थी एवं उसके भतीजे गौरव तिवारी पर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिससे दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं। प्रार्थी के अनुसार उसके भाई राम प्रकाश की हत्या के मुकदमे में अभियुक्तों को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है तथा उच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर हैं। इसी रंजिश के कारण विपक्षीगण द्वारा पूर्व से प्रार्थी को जान से मारने की धमकी/प्रयास किया जा रहा था। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें आज दिनांक 22.08.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 02 आरोपी अभियुक्तों-01. सूर्य नरायन तिवारी पुत्र श्यामलाल तिवारी, 02. दुर्गेश तिवारी पुत्र सूर्य नरायन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सूर्य नरायन तिवारी पुत्र श्यामलाल तिवारी, निवासी सोनी हरलाल, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
2. दुर्गेश तिवारी पुत्र सूर्य नरायन तिवारी, निवासी सोनी हरलाल, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-766/2026 धारा 109(1) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 सन्दीप कुमार, चौकी प्रभारी सोनी गुमटी
2. का0 कुलदीप यादव
3. का0 सचिन कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा